कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2642 / तक / 2004 भोपाल, दिनांक 13.08.2004

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश
समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः मुख्तारनामों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2322 / तक / 2004, भोपाल दिनांक 14.07.2004

——00——

उक्त संदर्भित पत्र की कंडिका 2 में आपको निर्देश दिए गए थे कि फर्जी मुख्तारनामों पर रोक लगाने के पयोजन से सुनिश्चित करें कि जब अचल संम्पत्ति के अंतरण के दस्तावेज को मुख्तार द्वारा निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर क्रेता / विक्रेता के फोटो के साथ–साथ मुख्तार का भी फोटो चस्पा किया जाये।

दिनांक 8.89.2004 को भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के जिला पंजीयकों एवं उप पंजीयकों की बैठक में उक्त निर्देशों के पालन में उप पंजीयकों द्वारा यह कठिनाई बताई गई कि क्योंकि दस्तावेज की रजिस्ट्री मुख्तार द्वारा कराए जाने की स्थिति में मूल क्रेता / विक्रेता जिसके द्वारा मुख्तार नियुक्त किया जाता है, उपस्थित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में मूल क्रेता / विक्रेता के फोटो वास्तविक हैं अथवा नहीं की पहचान किया जाना संभव नहीं है।

उक्त कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से निर्देश दिए जाते हैं कि क्रेता / विक्रेता जैसी भी स्थिति है, का फोटो उससे संबंधित अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा अभिकर्ता संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र उसे मुख्तार नियुक्त करने वाले की फोटों की सत्यता के संबंध में कथन करते हुए, उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त शपथ पत्र को पंजीबद्ध दस्तावेज के साथ ही चस्पा किया जाएगा। शपथ पत्र के विकल्प के रूप में उक्ताशय का उल्लेख भी दस्तावेज में कराया जाकर इस संबंध में पुष्टि की व्यवस्था की जा सकती है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

शपथ पत्र

उप पंजीयक ....के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु

मैं ....उम्र...........................पुत्री / पुत्र / पत्नि..
.. निवासी ....सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि :–

1. श्री / श्रीमति / सुश्री...पुत्र / पुत्री / पत्नि...
.द्वारा मुझे नोटराईज्ड / पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक..दिनांक...................................
.....से अचल संपत्ति स्थित...को हस्तांतरण करने हेतु मुख्तार नियुक्त किया गया थाि।

2. यह कि मुख्तारकर्ता आज दिनांक तक जीवित है।

3. यह कि उक्त मुख्तारनामा को आज दिनांक तक मुख्तारकर्ता द्वारा सीमित, मर्यादित निरस्त नहीं किया गया है।

4. यह कि जो विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है उस पर मुख्तारकर्ता का फोटो चस्पा है जिसे मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है।

5. यह कि दस्तावेज में उल्लिखित सम्पत्ति का विवरण मैंने पूर्णरूप से सही–सही अंकित किया है।

हस्ताक्षर / –

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं ....उम्र...........................पुत्री / पुत्र / पत्नि..
निवासी .... सत्यापन करता हूँ कि उक्त कंडिका 1 से 5 में दिए गए तथ्य मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही–सही वर्णित किए गए हैं।

हस्ताक्षर / –

शपथकर्ता